"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2003—ज्येष्ठ 2, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (छ. ग. 2001), सहायक कलेक्टर, बिलासपुर, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का कार्य भी संपादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2003

क्रमांक 1145/999/2003/1/2.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 9-5-2003 के अनुसार डॉ. के. के. चक्रवर्ती, (भा. प्र. से. 1970), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है.

डॉ. के. के. चक्रवर्ती, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दायित्वों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वन, संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक एफ 2-8/2003/1-8.—श्री सी. के. देवानी, तदर्थ अवर सचिव, छ. ग. शासन, उद्योग एवं खनिज साधन (सूचना प्रौद्योगिकी तथा बायोटेक्निक) को तत्काल प्रभाव से उसी हैसियत में वित्त एवं योजना विभाग में पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती अमृता बेक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, को तत्काल प्रभाव से, उसी हैसियत में, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-3-2003, जिसके द्वारा श्रीमती रेजिना टोप्पो, अनुभाग अधिकारी, छ. ग. मंत्रालय, जल संसाधन विभाग को, अवर सचिव, छ. ग. शासन के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत करते हुए, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें अब ऊर्जा विभाग में पदस्थ किया जाता है.

4. श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग को तत्काल प्रभाव से उसी हैसियत में, उद्योग एवं खनिज साधन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-16-41/2 (गृह) हो. गा./2003.—आयुक्त का पद समाप्त हो जाने के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग एक, क्रमांक-7 परिशिष्ट (2) गृह विभाग (नगर सेना) अनुक्रमांक 5, डिवीजनल कमान्डेन्ट नगर सेना के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के अनुक्रमांक 5 के कॉलम सं. 4 में शब्द कमिश्नर के स्थान प्रधान सेनानी नगर सेना तथा अनुक्रमांक 5 के कॉलम सं. 5 में प्रधान सेनानी नगर सेना गृह के स्थान पर गृह सचिव स्थापित करती है.

Raipur, the 23rd April 2003

No. F-16/41/2 (Home)/H. G./2003.—The State Government of Chhattisgarh in view of the abolition of the post of Commissioner shall be substituted the word Commissioner, by Director General Home Guards in the column No. 4 of the serial number 5 and Director General Home Guards Homes by Home Secretary in column No. 5 of serial number 5 of the Chhattisgarh General Book Circular Part I No. 7 annexure (2) Home Department (Home Guards) serial Number 5, Annual Confidential Report of Divisional Commandant Home Guards.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2001

क्रमांक 137/पी एस/एससीएम/2001/नोटि.—यत: राज्य शासन संतुष्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है,

अतएव, राज्य शासन एतद् अनुलग्नक एक में सम्मिलित उद्योगों को ''सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग'' की परिधि/व्याख्या में सम्मिलित होना एतद्द्वारा अधिसूचित करता है. तथापि ऊपर वर्णित आइटमों में व्यवसाय करने वाले थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, विपणन अभिकर्त्ता, वितरक तथा कन्साइनमेंट एंड फारवर्डिंग (सी एंड एफ) एजेन्ट्स

"सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग" की परिधि/व्याख्या में सम्मिलित नहीं होंगे .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, सचिव.

अनुलग्नक-एक

"सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग" की परिधि/व्याख्या में सम्मिलित उद्योगों की श्रेणियां

1. कम्प्यूटिंग डिवाइसेज, जिनमें सम्मिलित हैं-डेस्कटॉप कम्प्यूटर्स/पर्सनल कम्प्यूटर्स (पी. सी.)/ होम पी सी/इन्टरनेट पी सी, सर्वर्स, वर्कस्टेशन्स, मेनफ्रेम्स, टर्मिनल्स, डम्ब टर्मिनल्स, थिन क्लाइंट्स, नेटवर्क पी सी, लॅपटॉप कम्प्यूटर्स/नोटबुक कम्प्यूटर्स, हॅन्ड-हॅल्ड कम्प्यूटर्स/पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स (पी डी ए), मिनी कम्प्यूटर्स, सुपर कम्प्यूटर्स.

2. नेटवर्क कन्ट्रोलर कार्ड/मॅमोरी, जिनमें सम्मिलित हैं-नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन आई सी), एडॅप्टर्स-ईथरनेट/पी सी आई/ई आई एस ए/कॉम्बो/ पी सी एम सी आई ए, एस आई एम एम-मॅमोरी, डी आई एम एस मॅमोरी, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सी पी यू), कन्ट्रोलर- एस सी एस आई/अरे, प्रोसेसर्स-माईक्रोप्रोसेर्स/अन्य प्रोसेसर्स, पावर मॉड्यूल/अपग्रेड, सिस्टम ऑन चिप (एस ओ सी).

3. स्टोरेज यूनिट्स, जिनमें सम्मिलित हैं-हार्ड डिस्क ड्राईव्स (एच डी डी)/हार्ड ड्राईव्स, आर ए आई डी डिवाइसेज और उनके कन्ट्रोलर, फ्लॉपी डिस्क ड्राईव्स (एफ डी डी), सी डी रॉम ड्राईव्स, टेप ड्राईव्स-डी एल टी ड्राईव्स/डिजिटल ऑडियो टेप (डी ए टी), ऑप्टिकल डिस्क ड्राईव्स, अन्य डिजिटल उपकरण, मॅमोरी स्टिक्स, जिप ड्राईव्स, इलॅक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम (ई ई पी रॉम)/फ्लॅश मॅमोरी, रॅम.

4. अन्य-की-बोर्ड्स, मॉनीटर्स, माऊसेज/पॉइन्टिंग डिवाइसेज, मल्टी-मीडिया किट्स डिजिटल/वेब कैमरे, डिजिटाईजर्स, स्केनर्स.

5. प्रिन्टर एंड आऊटपुट डिवाइसेज, जिनमें सम्मिलित हैं-डॉट मॅट्रिक्स प्रिन्टर्स (डी एम पी), लेजर जेट प्रिन्टर्स, इंकजेट/डेस्कजेट प्रिंटर्स, एल ई डी प्रिन्टर्स, लाईन प्रिन्टर्स, प्लॉटर्स, पासबुक प्रिन्टर्स, सी. डी. राईटर/रीराईटर डिवाइसेज.

6. नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, जिनमें सम्मिलित हैं-हब्स, राऊटर्स एलॅक्ट्रोनिक, स्विचेज, कन्स्ट्रेर्स, ट्रांसीवर्स, रीमोट ॲक्सॅस सर्वर्स (आर ए एस).

7. सॉफ्टवेयर, जिनमें सम्मिलित हैं-ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम (ओ एस), मिडिलवेयर/फर्मवेयर, डेवलपमेंट टूल्स, कम्पाइलर्स, डाटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम्स.

8. कम्प्यूटरों के लिए पावर सप्लाईज, जिनमें सम्मिलित हैं-स्विच मोड पावर सप्लाईज, अनिंटरप्टेड पावर सप्लाईज (यू पी एस).

9. नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित ॲक्सेसरीज (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित)-ऑप्टिकल फाईबर केबल (ओ एफ सी), सिंगल सिग्नल केबल (कॉपर केबल्स), कनॅक्टर्स, टर्मिनल ब्लॉक्स, जॅक पॅनल्स, पॅच कार्ड्स, माऊंटिंग कॉर्ड्स, पंच पॅनल्स, बॅक बोर्ड्स, वाइरिंग ब्लॉक्स, सरफेस माऊन्ट बॉक्सेज.

10. कन्ज्यूमेबल्स जिनमें सम्मिलित हैं-सी डी रॉम/कॉम्पॅक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क्स, टेप्स (डी ए टी/डी एल टी), प्रिन्टर रिबन, प्रिन्टर का टोनर, इंकजेट कार्ट्रेज, आऊटपुट डिवाइसेज के लिए इंक.

11. कम्प्यूटरों/सूचना प्रौद्योगिकी के लिए इलॅक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स, जिनमें सम्मिलित हैं-प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड (पी सी बी) ॲसेंबली/पापुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर्स, इन्टीग्रेटेड सर्किट्स/आई सी, सेमिकन्डक्टर डायोड्स/थायरिस्टर्स/ एल ई डी, रॅजिस्टर्स, कॅपॅसिटर्स, स्विचेज (ऑन/ऑफ, पुश बटन, रॉक आदि), प्लग्स/सॉकेट्स/कम्प्यूटरों/इलॅक्ट्रॉनिक्स हेतु प्रयुक्त रिलेज, कम्प्यूटर डिवाइसेज के लिए मॅग्नॅटिक हॅड्स, कम्प्यूटर प्रिन्टर्स के लिए प्रिन्टर हॅड्स, कनॅक्टर्स/माईक्रोफोन्स/कम्प्यूटरों हेतु प्रयुक्त स्पीकर्स, फ्यूजेज.

12. टेलिकम्युनिकेशन उपकरण, जिनमें सम्मिलित हैं-वीडियो-फोन्स, फैक्स-कार्ड्स, मल्टिप्लॅक्सर्स (मक्सेज), मोडॅम्स, ॲन्टेने एंड मास्ट्स, वायरलेस डॅटा-कम्युनिकेशन उपकरण जिनमें सम्मिलित हैं वीडियो और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हेतु (आर एफ/डब्लू आई एल एल/ आई ई ई ई 802.11 स्टैंडर्ड इत्यादि का उपयोग करते हुए) सॅट टॉप बॉक्सेज (एस टी बी), वी-सॅट उपकरण, वीडियो-कॉन्फरेंसिंग उपकरण, आई टी-ॲनेबल्ड सर्विसेज यथा ट्रांसक्राईबिंग हेतु उपकरण, केबल टी वी नेटवर्क डॅटा कम्युनिकेशन उपकरण जिसमें एस टी बी एवं केबल मोडॅम सम्मिलित हैं, डायरॅक्ट टु होम (डी टी एच) डॅटा कम्युनिकेशन उपकरण, ब्राड बैंड डॅटा कम्युनिकेशन उपकरण.

नोट :—ऊपर वर्णित आइटमों में संव्यवहार करने वाले थोक विक्रेता, खेरची विक्रेता, विपणन अभिकर्त्ता, वितरक तथा कंसाइनमेंट ॲण्ड फॉरवर्डिंग एजेण्ट्स "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग" की परिधि/व्याख्या में नहीं आएंगे.

Raipur, the 29th October 2001

No. 137/PS/SCM/IT/2001/NOTIF.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary as well as expedient to encourage Information Technology Industry in the public interest,

Now, therefore, the State Government notifies the industries included in Annexure I hereto as being included in the scope/definition of "Information Technology Industry". However, the businesses carried on by wholesalers, retailers, marketing agents, distributors and Consignment & Forwarding (C & F) agents dealing in the above items shall not be included within the scope/definition of "Information Technology Industry".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR, Secretary.

ANNEXURE I

CATEGORIES OF INDUSTRIES INCLUDED IN THE SCOPE/DEFINITION OF "INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY"

(A) Computing devices including : Desktop computers/Personal Computers (PCs)/Home PCs/Internet PCs, Servers, Workstations, Mainframes, Terminals, Dumb terminals, Thin clients, Network PCs, Laptop Computers./Notebook Computers, Handheld Computers/Personal Digital Assistants (PDAs), Mini Computer, Super Computer.

(B) Network Controller Cards/Memories including: Network Interface Card (NIC), Adaptors-Ethernet/ PCI/EISA/Combo/PCMCIA, SIMMs-Memory, DIMS-Memory, Central Processing Unit (CPU), Controller-SCSI/ Array, Processors-Micro Processor/other Processors, Power Module/Up-grade, System on Chip (SoC).

(C) Storage Units including : Hard Disk Drives (HDDs)/Hard Drives, RAID Devices & their Controllers, Floppy Disk Drives (FDDs), CD ROM Drives, Tape Drives-DLT Drives/Digital Audio Tape (DAT), Optical Disc Drives, other Digital Storage Devices, Memory Sticks, Zip Drives, Electronically Erasable Programmable ROM (EEPROM)/Flash Memory, RAM.

(D) Others : Key Boards, Monitors, Mouses/Pointing devices, Multi-media Kits, Digital/Web cameras, Digitisers, Scanners.

(E) Printers and Output Devices including : Dot Matrix Printers (DMPs), Laserjet Printers, Inkjet/ Deskjet Printers, LED Printers, Line Printers, Plotters, Passbook Printers, CD writer/rewriter devices.

(F) Networking products including : Hubs, Routers, Electronic Switches, Concentrators, Transceivers, Remot Access Servers (RAS).

(G) Software including : Application Software, Operating System (OS), Middleware/Firmware, Development tools, Compilers, Database Management Systems.

(H) Power supplies to Computer Systems including: Switch mode power supplies, Uninterrupted Power Supplies (UPS).

(I) Networking/Cabling & related accessories (related to IT industry) : Optical Fibre Cable (OFC), Single Signal Cable (Copper Cables), Connectors, Terminal Blocks, Jack panels, Patch cords, Mounting cords, Patch panels, Back Boards, Wiring blocks, Surface mount boxes.

(J) Consumables including : CD ROM/Compact Disc, Floppy Discs, Tapes (DAT/DLT), Printer Ribbons, Toners for Printers, Inkjet Cartridges, Inks for Output devices.

(K) Electronic Components used for Computers/IT including: Printed circuit Board (PCB) assambly/ Populated Printed Circuit Boards, Transistors, Integrated Circuits/ICs, Semiconduc tor Diodes/ Thyristors/LEDs, Resistors, Capacitors, Switches (On/Off, Push button, Rocker etc.), Plugs/Sock ets/relays used for Computers/Electronics, Magnetic heads for computer devices,Printer heads for Computer Printers, Connectors/Microphones/ Speakers used in Computers, Fuses.

(L) Telecommunication Equipment including : Videophones, Fax cards, multiplexers (muxes), Modems, Antennae & Masts, Wireless data-communication equipment-including Set Top Boxes (STBs) for both Video and Digital Signal Processing using RF/ WiLL/IEEE 802.11 standards etc., V-SATs, Video-Conferencing Equipment, Equipment for IT-enabled services such as transcribing, Cable TV network data communication equipment including STBs & Cable modems, Direct to Home (DTH) data communication equipment, Broadband data communication equipment.

NOTE : Wholesalers, retailors, marketing agents, distributors and Consignment & Forwarding (C & F) agents dealing in the above items shall not be included within the scope/definition of "Information Technology Industry."

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2003

क्र. 823/09 एम आई/2003/वा. उ.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, की जांजगीर-चांपा एवं रायपुर स्थित इकाईयों का बोर्ड फॉर इण्डस्ट्रीयल एंड फाइनेन्शियल रिकन्स्ट्रक्शन (बी.आई.एफ.आर.), नई दिल्ली द्वारा Sick Industrial Companies Act-1985 के तहत बीमार इकाई घोषित किया गया है. अत: राज्य शासन म. प्र. सहायता उपक्रम (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इन इकाईयों को एक वर्ष की कालावधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए सशर्त सहायता उपक्रम घोषित किया जाता है :—

मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के उपरोक्त दोनों इकाईयों को राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अमान्य करने पर उक्त सहायता उपक्रम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी सुविधा की पात्रता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धुर्वे, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2003

क्र. 823/09 एम आई/2003/वा. उ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 823/09 एम आई/2003/वा. उ., रायपुर, दिनांक 1-4-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धुर्वे, विशेष सचिव.

Raipur, the 1st April 2003

No. 823/9 MI/03/C & I.—Whereas the State Government is satisfied that the Board for Industrial and Financial Reconstruction, New Delhi has declared the units of M/s. Prakash Industries Limited namely :—

(1) M/s. Prakash Industires Limited, Janjgir-Champa,

(2) M/s. Prakash Industries Limited, as the Sick Industries under Sick Industrial Companies Act, 1985.

Therefore, in exercise of powers conferred by the provision to section 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) sansodhan Adhiniyam 1978 (No. 32 of 1978). The State Government hereby declare the industrial units namely Prakash Industries Limited, units located at Janjgir-Champa and Raipur as relief undertaking for a period of one year with effect from 1st April, 2003 to 31 March 2004 under the following condition :—

If the High Power, Committee as may be constituted by the State Government refuse to declare the above two units of M/s. Prakash Industries Limited, as the relief undertaking, then these units under the said Act will not be eligible for any relief.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. S. DHURVE, Special Secretary.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 144/211/ऊर्जा विभाग/2003/तेरह.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. सी. व्यास, अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक रायपुर को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने फलस्वरूप दिनांक 30-4-2003 अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है.

2. श्री आर. के. जायसवाल, कार्यपालन यंत्री, (वि. सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक रायपुर को तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अधीक्षण यंत्री, (वि. सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षकालय रायपुर के पद का चालू प्रभार मय वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित सौंपा जाता है.

3. श्री जायसवाल के वेतन आदि का आहरण पूर्व पदस्थ स्थान से ही आहरित होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक 2861/2003/विधि.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रो. डा. जोस पी. वर्गीस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर को हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के विशेष अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) केवल निर्धारित वेतनमान पर नियुक्त करता है. उनकी सेवा शर्तों के संबंधी निर्देश पृथक् से जारी किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2003

क्रमांक डी 2824/21-अ (स्था.)2003/छ. ग.—श्रीमती बिवियाना कुजूर, सहायक वर्ग-1, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग के पद पर वेतनमान 6500-200-10500 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है.

क्रमांक डी 2824/21-अ (स्था.) 2003/छ. ग.—श्री प्रेम नारायण त्रिपाठी, सहायक वर्ग-1, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग के पद पर वेतनमान 6500-200-10500 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है.

क्रमांक डी 2824/21-अ (स्था.) 2003/छ. ग.—श्री एच. एल. शर्मा, सहायक वर्ग-1, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग के पद पर वेतनमान 6500-200-10500 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है.

क्रमांक डी 2824/21-अ (स्था.) 2003/छ. ग.—श्री महादेव आगरकर, सहायक वर्ग-1, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान 6500-200-10500 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है.

क्रमांक डी. 2824/21-अ (स्था.)2003/छ. ग.—श्री दुर्गा प्रसाद पाराशर, सहायक वर्ग-1, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग के पद पर वेतनमान 6500-200-10500 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है.

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नति में आरक्षण नियम का पूर्ण रूप से पालन किया गया है".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शकुन्तला दास, अतिरिक्त सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2003

क्रमांक 162/एफ-3-10/99-बत्तीस/2002.—राज्य शासन द्वारा अंगीकृत रायपुर विकास योजना (उपांतरित-2011) में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ उपांतरण हेतु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (2) के अधीन सूचना क्रमांक 1431/उपस/प.न.वि./2002, रायपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2002 जारी की गयी थी, इसका प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 28-10-2002 एवं 29-10-2002 को किया गया था. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन ग्राम तेलीबांधा जिला रायपुर के खसरा क्रमांक 616/6 कुल रकबा 1.202 हेक्टर भूमि की सूचना में उल्लेखित भूमि उपयोग कृषि को उपांतरित कर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग करने की पुष्टि करता है तथा उसे अंगीकृत रायपुर विकास योजना (उपांतरित 2011) का एकीकृत भाग घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 3244/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कोलिहापुरी	2.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	भँरवाटोला जलाशय की उलट नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 3245/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पटपर	10.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	भँरवाटोला जलाशय की उलट नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 3246/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रूवांतला	7.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय की उलट नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 3247/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मनकी प.ह.नं. 68/8	22.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के डुबान क्षेत्र के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 3248/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जारवाही प.ह.नं. 66/5	25.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के डुबान क्षेत्र के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्रमांक 3249/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	सहसपुर	14.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय की उलट नाली एवं बांधपार हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अम्बिकापुर, दिनांक 1 मई 2003

क्रमांक 920/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सामरी	रेहड़ा	1.776	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, अम्बिकापुर.	चन्द्रनगर जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 1/अ-82//2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सिलदहा प.ह.नं. 36	2.914	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	भेरवा जलाशय डूबान क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 2/अ-82//2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	घुठेली प.ह.नं. 36	11.668	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	भेरवा जलाशय डुबना क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान्) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 3/अ-82//2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मर्राकोना प.ह.नं. 43	0.720	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	भेरवा जलाशय शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 4/अ-82//2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	लखुवाडीह प.ह.नं. 45	11.668	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ. ग.)	भैरवा जलाशय शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोटमार प.ह.नं. 18	31. 010	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन मे. इण्ड एग्रो सिनर्जी लिमि. नागपुर के स्पंज ऑयरन प्लांट की स्थापना हेतु.
		सियारपाली प.ह.नं. 19	2.861		
		महुआपाली प.ह.नं. 20	44.046		
		योग	77.917		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2003.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पतरापली प.ह.नं. 18	25.507	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन मे. वीशा इण्डस्ट्रीज लिमि. कोलकाता के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एवं केप्टिव पॉवर प्लांट के स्थापना हेतु.
		कोटमार प.ह.नं. 18	40.104		
		योग	65.611		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/125.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	आमगांव प.ह.नं. 8	0.903	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	आमगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसेदव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/126.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1394) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	हसौद जैजैपुर	आमाकोनी प.ह.नं. 20	2.182	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	आमाकोनी माइनर बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/127.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	हसौद जैजैपुर	हरदीडीह प.ह.नं. 20	0.300	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	कचन्दा सब डिवीजन डी. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/128.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गाड़ामोर प.ह.नं. 18	2.227	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	गाड़ामोर मायनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/129.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	रीवांडीह प.ह.नं. 20	3.037	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	मायनर 2 R/कचुंडा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/130.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गुचकुलिया प.ह.नं. 10	0.392	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर स. क्र. 3, सक्ती.	गुचकुलिया मायनर पूरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/131.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अमुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	काशीगढ़ प.ह.नं. 9	0.069	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	काशीगढ़ माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/132.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	अमलीटिकरा प.ह.नं. 3	0.441	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	मरकाम गोढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/133.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	अमलडीहा प.ह.नं. 6	4.741	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	मरकाम गोढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/134.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प.ह.नं. 14	4.112	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	जैजैपुर माइनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/135 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जर्वे प.ह.नं. 26	1.766	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	गांडरमोर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/136.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जर्वे प.ह.नं. 26	0.936	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	परसाडीह शाखा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/137.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियां को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	वरेकेल खुर्द प.ह.नं. 21	3.404	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	वरेकल माइनर एवं ब्रेन्च माइनर I आर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/138.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम,	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	परसाडीह प.ह.नं. 25	5.188	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	परसाडीह वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/139.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	टेमर प. ह. नं. 8	1.432	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टेमर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/140.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जामपाली प.ह.नं. 4	2.711	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र., खरसिया.	धांगरपारा माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/141.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	हरदा प.ह.नं. 7	2.179	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	हरदा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/142.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सपिया प.ह.नं. 9	0.040	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	पूरक प्रकरण खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/143.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मोहगांव प.ह.नं. 2	0.154	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/144.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदौरखुर्द. प.ह.नं. 12	1.659	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सूबाडेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/145.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मानिकपुर प.ह.नं. 2	0.749	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/146.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा प.ह.नं. 6	0.918	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो मंडल, खरसिया 5.	खरसिया नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/147.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नवापारा खुर्द प.ह.नं. 5	0.833	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	डोगिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/148.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	अजोरीपाली प.ह.नं. 4	1.472	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	अजोरीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/149.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	आमापाली प.ह.नं. 4	0.679	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	अजोरीपाली माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/150.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जुड़गा प.ह.नं. 4	1.299	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	अजोरीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/590.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बुंदेली प.ह.नं. 8	6.646	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	कटारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/591.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	ढिमानी प.ह.नं. 7	6.188	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	भागोडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/610.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ढंकुनाभांठा प.ह.नं. 4	3.148	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	खैरा मुड़ा माइनर गिरगिरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/630.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के ख़ाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मोहगांव प.ह.नं. 2	1.991	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	टेम्पा भाठा माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/631.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सोंठी प.ह.नं. 6	1.606	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सोंठी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/632.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प.ह.नं. 10	0.546	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सोंठी माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/633.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	भोथिया	1.600	कार्यपालन यंत्री	मलनी वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/634.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अकलसरा प.ह.नं. 11	0.209	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता.बांगो नहर संभाग,	अकलसरा सब माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/635.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अकलसरा	1.103	कार्यपालन यंत्री	मुरलीडीह डिस्ट्रीब्यूटरी

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/636.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गुचकुलिया प.ह.नं. 10	0.121	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता नहर संभाग क्र. 3.	गुचकुलिया माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा ज़ा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/637.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कोटेतरा	1.555	कार्यपालन यंत्री	मुरलीडीह डिस्ट्रीब्यूटरी

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/638.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कलमीडीह प.ह.नं. 4	0.048	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3.	सक्ती, शाखा नहर के अंतर्गत कलमीडीह माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/639.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ठठारी प.ह.नं. 1	0.536	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	सोनसरी सब-माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/640.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ठठारी प.ह.नं. 1	1.339	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	सोनसरी माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/641.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जगदल्ला प.ह.नं. 4	2.931	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	ढोलनार वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/642.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बैलाचुवॉ प.ह.नं. 4	0.642	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	बैलाचुवॉ माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/643.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	देवरी	1.744	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	ढोलनार वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई

क्रमांक क/भू-अर्जन/644.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बैलाचुवॉ प.ह.नं. 4	0.447	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	अंजोरीपाली माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 14 मई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/5669.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बतारी	20.25	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा (छ. ग.)	कोल बेनीफिकेशन संयंत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईशिता राय, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 20 फरवरी 2003

क्रमांक 614/प्र. 1/अ.वि. अ.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरझापुर, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
490	0.15
474/1	0.10
474/2	0.09
473/3	0.09
411	0.07
412	0.06
415/1	0.03
415/2	0.02
416/1	0.06
386	0.13
418	0.11
420	0.17
356	0.14
354	0.06
337	0.08
339	0.06
321	0.04
322	0.06
288	0.04
289/7	0.03
289/16	0.03
293	0.10
305	0.10
273	0.12
269	0.12
147	0.02
148	0.02
132	0.28
131	0.40
128	0.03
863	0.50
912	0.16
925	0.45
307	0.11
297	0.10
916	0.25
915/2	0.45
449/1 449/2	0.40
429	0.60
योग 40	5.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकोली जलाशय की शाखा नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 7/अ-82/भू-अर्जन//2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-सनंकपाट, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.08
254	0.16
301	0.05
307	0.11
337/1	0.06
176	0.13
306	0.16
253	0.17
300	0.15
297	0.01
324	0.12
175	0.07
126	0.21
योग	1.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छितापार जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 3/अ-82/भू-अर्जन//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-कोदवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
623	0.05
624	0.02
625	0.03
669	0.06
626/2	0.07
670/2	0.02
672	0.04
671	0.02
683	0.03
684	0.03
685	0.02
686	0.02
670/1	0.03
687	0.04
688	0.03
योग	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मरजादपुर जलाशय नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 5/अ-82/भू-अर्जन//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-बहरबोड़, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
01	1.64
176	0.20
38/1	0.70
48/1	1.68
40/1	0.34
25	2.29
51	0.20
46	0.15
32	0.53
40/2	0.34
योग	8.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मरजादपुर जलाशय योजना के डूबान में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 6/अ-82/भू-अर्जन//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-पेंड्रीतराई, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1378	0.01
1384	0.01
1413	0.01
1541	0.11
1543/1	0.03
1381	0.01
1409	0.08
1426	0.01
1548	0.01
1543/2	0.03
1407	0.03
योग	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सकरी फेस-2 योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 8/अ-82/भू-अर्जन//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-लोलेसरा, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/8	0.06
123/2	0.03
128	0.05
203	0.09
579/1	0.10
590/2	0.13
121	0.10
136	0.07
162/1	0.05
207	0.01
589/1	0.11
590/3	0.10
योग	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-करूवा व्यपवर्तन के अंतर्गत गांगपुर माइनर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 9/अ-82/भू-अर्जन//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-भुरकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
466	0.01
468	0.06
470	0.01
471	0.12
472	0.09
473	0.04
477	0.22
478	0.01
480	0.20
481	0.28
482	0.16
योग	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-खाम्ही, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.37 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
114/1, 115/4	0.64
114/2, 115/9	0.64
138/7	0.70
114/3, 115/10	0.57
115/3	1.43
115/2	0.75
115/7, 120, 121/1, 122/2	2.43
115/1	1.69
115/8	1.25
115/13	0.08
117	0.83
134/1	0.28
134/3	0.27
134/4	0.27
138/6	0.55
139	0.29
324, 325	0.03
326	0.05
357/4	0.02
259/1 क, ख, ग, 259/2 क, ख	0.60
योग	13.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहरेंगिया व्यपवर्तन योजना के डूबान में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन//2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-कोसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
286	0.14
292	0.13
303	0.07
306	0.03
287	0.02
300	0.10
304	0.08
308/1	0.27

(1)	(2)
288	0.09
301	0.07
305	0.01
योग	1.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भनसुली माइनर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 15/अ-82/भू-अर्जन//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-भुरकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24	0.58
25/1	0.50
25/2	0.19
29	1.17
30	1.18
68/2	0.32
70	0.35
72	0.28
26	0.35
33	0.31
32/2	0.40
27	0.25
28	1.37
66	0.75
73	0.15
75	0.09
941	0.01
32/1	0.58
56	0.61
57	0.23
58/3	0.16
62	0.13
65	0.06
67	0.20
68/1	0.16
69	0.09
71	0.22
76	0.13
49	0.36
योग	11.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भुरकी जलाशय निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 300/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-केंवतरा, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
100	0.12
677/3	0.07
योग	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरहीकर्रा व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण .

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 301/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-कोंगियाकला, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/1	0.14
योग	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरहीकर्रा व्यपवर्तन मुख्य नहर ढाप फीडर निर्माण.

(3) भूमि कें नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

क्रमांक 1/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-देवरीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.700 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.105
20	0.040
8	0.081
9	0.081
10	0.032
11 से	0.028
13/1 से	0.101
17	0.040
18	0.040
118	0.036
117	0.016
119/2	0.048
120/2	0.012
111	0.024
125/2	0.012
योग 15	0.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मई 2003

क्र. 475/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-खैरमुड़ा, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
934/1	0.069
956	0.012
935	0.133
1006	0.133
1007	
1004	0.028
1005	
931/5	0.117
976/1 क	0.077
940/2	0.073
1075	0.004
939	0.020
940/1	0.044
1082/3	0.061
941	0.061
942	0.077
943	
947	0.061
1014	0.093
954	0.040
955	0.077
957/4	0.028
959/7	0.073
1002/2	0.012
946/1	0.008
946/2	
958	0.028
957/1	0.008
959/2	0.040
959/3	0.008
1002/3	0.061
965/2	0.061

(1)	(2)
963/2	0.061
962/1 962/2	0.012
976/1 ग	0.061
1082	0.053
1013/1 1013/2 क	0.049
1010/2 1011/2	0.040
1013/1 1013/ 2 ख	0.032
1010/3 1011/3	0.032
1013/1 1013/2 ग	0.012
1082/4	0.057
1081/4 1081/3	0.061
1081/2	0.020
1081/1	0.016
1076	0.081
1078	0.016
1077	0.044
931/1	0.032
योग 45	2.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लिचाई पाली ब्रान्च माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 577/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
971/1	0.089
968/1	0.101
967/1	0.049
967/3	0.057
966/3	0.097
949	0.129
1087	0.012
966/2	0.016
1123/1	0.061
950	0.085
953	0.101
954	0.170
1077/1 1077/2	0.117
1076/2	0.020
1076/4	0.008
1082	0.089
1083/3 1083/6	0.077
1089/2	0.032
1084/3	0.049
1084/2	0.012
1083/6	0.040
1083/2	0.061
1085	0.061.
1088/1 ख	0.089
1089/1	0.049
1086	0.040
1115/1	0.020
1115/2	0.045
1115/5	0.077
1114/4	0.057
1114/3	0.186

(1)	(2)
1114/6	0.045
1205/2	0.231
1205/8	0.024
1124	0.267
योग	2.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोबरा सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 578/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.703 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
949	0.020
950/ 1, 2, 3, 4	0.061
952	0.072
951	0.121
898/2	0.016
897	0.040
896	0.069
845/3	0.004
845/1	0.004
871/3	0.093
846/1	0.049
870/1	0.085
870/2	0.069
योग 13	0.703

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तुरकाडीह. माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 579/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमुल, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.949 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
422	0.028
423/1	0.008

(1)	(2)
423/2	0.008
428/1	0.049
427/2	0.036
426/3	0.036
428/2	0.012
429/1	0.061
429/3	0.133
455/1, 455/3	0.247
431	0.065
432, 433 ग	0.137
456	0.085
458/2	0.004
465/1 क, 466/1	0.040
योग	0.949

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-फरसवानी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 580/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-शंकरपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.499 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
352	0.028
351/2	0.085
337/3	0.085
350	0.101
349	0.113
50/2	0.109
49/2, 50/22	0.109
50/7	0.057
50/3	0.097
332	0.154
50/15	0.049
346/1	0.045
346/2	0.016
50/10	0.016
50/13	0.069
153	0.101
342, 339	0.053
343	0.028
335	0.028
330	0.053
155, 156	0.081
45	0.040
331/2	0.057
331/1	0.028
329	0.028
172	0.089
50/5	0.073
325/2, 325/3	0.186
323/1	0.097
154	0.053
157	0.032
158	0.024
165	0.073
167	0.016
168	0.020
169	0.020

(1)	(2)
170	0.004
171/1 171/2	0.045
175/1 क	0.109
173	0.028
योग	2.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गिरगिरा ब्रांच माइनर नं. 1 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 581/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.763 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
970	0.040
1331/1	0.028
1331/2 क, ख	0.036
968	0.002
969	0.004
966/1	0.040
1334/1-2	0.153
1345	0.053
1340/2 ख	0.113
1386	0.024
1385	0.040
1381/1	0.012
1381/2	0.060
1379	0.077
1378	0.040
1376	0.182
1374/3	0.045
1373	0.045
1370/1, 2, 3	0.049
1369	0.049
1368	0.040
1366/1	0.053
1365	0.049
1364	0.036
1363	0.024
1405	0.073
1408/2	0.073
1409	0.032
1413/1	0.016
1413/2	0.089
1414	0.053
1415/1	0.036
1416/2	0.036
1417	0.061
योग 33	1.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कटेकोनी छोटे माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 582/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.796 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
508/2	0.069
499/2	0.045
509	0.069
498	0.085
448/4	0.069
497/1 क	0.045
497/1 ख	0.069
497/1 ग	
497/3	0.065
487/1	0.145
487/2	0.004
480/5	0.024
482/2	0.036
480/7	0.057
480/8	0.077
482/2	0.153
481	0.012
473/2	0.004
468/4	0.065
474/2	0.049
472/3	0.040
468/2	0.069
454	0.077
468/6	0.040
453/1	0.016
453/2	0.085
452/1	0.045
445/1	0.016
451	0.036
448/8	0.101
448/12	0.012
448/10	0.036
448/3	0.081
योग	1.796

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छोटे कोट माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 583/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-टाटा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.199 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
79	0.160

(1)	(2)
77	0.053
100	0.032
93/1	0.012
98	0.036
106	0.056
97/1	0.036
179/1	0.149
168/2	0.004
169	0.020
170	0.032
174/2	0.226
171	0.048
172	0.125
99	0.073
148	0.004
156	0.008
173/2	0.125
योग	1.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर (पूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 584/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोकरेलं, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.506 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
75/3	0.072
110	0.064
109/1	0.016
111	0.295
112/1, 2	0.042
174/2	0.117
173/1	0.032
172	0.024
171	0.015
113/2	0.042
113/1	0.042
169/3	0.044
158	0.076
126/1	0.044
153/1	0.025
148	0.070
150	0.008
127/1	0.040
147	0.028
146	0.170
131	0.033
129	0.004
153/2	0.146
95/3	0.057
योग	1.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर (पूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 585/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अमेराडीह, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.630 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230/3	0.093
225	0.202
217/2	0.036
217/1	0.049
208/1	0.032
209	0.028
207, 170	0.045
213/1	0.020
169/2, 3	0.125
योग	0.630

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अमेराडीह सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 586/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-भुतहा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.302 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
441	0.073
438/2	0.093
437/8	0.008
437/2	0.089
436	0.032
418/2, 318	0.020
435/2	0.045
330	0.320
431	0.186
434/1	0.036
319/2	0.073
429	0.016
319/1	0.065
320/1	0.036
332, 481	0.040
322/2	0.109
326/1	0.061
योग	1.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भूतहा ब्रांच सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 587/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.110 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
425/16, 496, 498, 509	0.008
1144	0.097
428/8	0.121
426/1	0.004
426/2	0.077
494	0.089
428/1	0.069
1157	0.101
433/2	0.170
434/2	0.008
1253/1	0.004
437	0.057
434/5, 435/2	0.117
1151/6	0.049
436/2	0.057
1254/2	0.028
436/3	0.016
1253/3, 1253/14	0.028
470/7	0.077
470/18	0.121
459	0.036
1220/3	0.065
372/10	0.004
469	0.125
378/2	0.004
460	0.004
361/2	0.024
467	0.073
466/2	0.040
466/1	0.024
462	0.053
463/1	0.045
377/2	0.036
362/1	0.008
363, 374	0.085
372/5	0.004
1220/1	0.004
372/8	0.004
372/9	0.004
1151/5	0.040
1220/2	0.004
372/11	0.004
1220/4	0.004
1253/6	0.020
1253/5	0.008
1253/1	0.028
1237/6	0.004
1329/7	0.117
1329/2	0.004
1237/7	0.036
1107/3	0.024
1107/2	0.040
1108	0.154
1115/3	0.032
1110	0.061
1140/7	0.024
1140/14	0.036
1140/13	0.024
1140/12	0.036

(1)	(2)
1212/25	0.028
1075/5	0.053
1075/2	0.045
1151/2	0.012
1134/2	0.004
1147/1, 2, 3, 4, 5	0.004
1132/1	0.093
1132/4	0.008
1151/1	0.004
1329/8	0.004
1158/1	0.073
1170	0.004
1171	0.053
1172	
1156/1	0.008
1173/1	0.134
1173/4	0.004
1175	0.040
1221/2	0.008
1219	0.065
1217/1	0.004
1199/3, 4, 12, 13	0.158
1199/8, 9	0.101
1212/3 ख	0.012
1212/2 ग	0.032
1212/1 क	0.057
1212/2 ख	
1212/ 1 ख	0.024
1212/1 ग	
1211/1	0.077
1228/2	0.065
1209/1	0.154
1209/2	0.081
1326	0.061
योग	4.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 588/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बुंदेली, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.513 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
कटारी माइनर-2	
44	0.202
45	0.279
46/4	0.028
46/1	0.279
46/5	0.008
46/2	0.016
46/3	0.121
184/4	0.223
184/2	0.158
186/11	0.348
189	0.158
401/4	0.150
401/8	0.077
401/9	0.032
402	0.024
404/23	0.040
403/3	0.012
403/2	0.057
404/29	0.049
404/30	0.004
404/17	0.016
390	0.024
387	0.032
388	0.028
384/1	0.004

(1)	(2)
384/2	0.004
384/3	0.008
384/4	0.004
384/5	0.004
381	0.024
379	0.044
378	0.032
373	0.044
365/2	0.016
365/3	0.028
356	0.024
355	0.024
236	0.040
237/3	0.004
239/2	0.016
240	0.024
241/1, 2	0.016
266	0.024
265	0.024
264	0.020
267	0.016
268	0.020
269	0.028
270/1, 2	0.012
291	0.004
292/1, 2, 3	0.028
329	0.085
326/3	0.109
327/1	0.202
327/2	0.057
330/1	0.024
330/4	0.053
334/6	0.012
331/5	0.125
332/10	0.053
332/6	0.061
332/7	0.057
योग	3.739

कटारी माइनर-ब्रांच माइनर-2

(1)	(2)
44	0.053
46/4	0.105
46/9	0.101
46/8	0.097
51/6	0.146
51/5	0.020
51/18	0.089
52/1	0.006
53	0.073
54/1	0.085
54/2	0.101
55/1, 3	0.087
59/4	0.093
60/4	0.101
63/1	0.012
63/2	0.065
63/3	0.051
63/5	0.121
63/6	0.034
63/7	0.049
64/1	0.040
64/5, 6, 7	0.077
65/2	0.089
65/4	0.073
65/3	0.044
66/1	0.182
64/2	0.049
योग	2.043

कटारी माइनर-ब्रांच माइनर-2

(1)	(2)
401/4	0.016
401/5	0.024
401/6	0.016
404/8	0.036
404/9	0.024
414/4	0.085
415/1	0.016

(1)	(2)
414/6	0.154
415/6, 9	0.049
415/8 416	0.044
415/2, 5, 7	0.049
426/5	0.206
415/4	0.012
योग	0.731
कुल योग	6.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कटारी माइनर/ब्रांच माइनर I, II.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना-जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 589/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-ढिमानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.789 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
भागोडीह माइनर	
423	0.223
422/4	0.121
422/1	0.142
425/4	0.101
425/8	0.049
426	0.049
428/1	0.146
280/2	0.061
281/13	0.121
281/12	0.053
281/15	0.093
281/14	0.121
281/1	0.113
264/1	0.069
264/2	0.202
178/1	0.105
176	0.085
180	0.178
172/30	0.133
172/4 ख	0.158
172/28	0.101
योग	2.424
भागोडीह माइनर-2	
422/1	0.036
425/3	0.105
425/2	0.028
388/7	0.049
388/1	0.097
389/5	0.053
389/4	0.049
389/3	0.032
389/1	0.057
386/2	0.044
386/1	0.061
387/1	0.024
386/4	0.077
386/3	0.049
385/5	0.061
385/7	0.028
381/13	0.174
381/4	0.138
381/3	0.081
381/2	0.061
380/4	0.024

(1)	(2)
380/7	0.061
380/6 10 ख 11	0.077
380/3	0.036
339/1	0.081
339/3	0.044
योग	1.627

भागोडीह माइनर-3

425/2	0.040
425/5	0.093
409/1	0.061
428/1	0.061
425/7	0.162
408/2	0.057
408/1	0.061
281/5	0.154
281/4	0.186
285/2	0.008
285/4	0.036
282	0.004
289	0.117
290/1	0.044
291/1, 2	0.044
292/2, 4	0.077
332/12	0.065
332/15	0.028
332/14	0.028
325	0.036
327/1, 2	0.036
332/9	0.069
332/11	0.012
329/1	0.133
332/2	0.053
332/4	0.061
281/7	0.012
योग	1.738
कुल योग	5.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 592/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
452/1	0.044
452/2	0.044
450/3 451	0.057
450/2	0.020
448/1	0.036
450/1	0.020
447/1	0.049
447/3	0.008
446	0.016
445	0.008
442/1	0.016
442/2	0.020
447/2	0.020
436/2 436/1	0.089
428/3	0.028
428/2	0.028
428/1	0.028
424	0.012
423	0.032

(1)	(2)
422	0.020
425	0.008
420	0.049
421	
416	0.073
419/1	0.020
418/1	0.069
418/2	0.069
418/3	0.012
418/4	0.016
417/2	0.040
417/3	0.061
योग	1.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रतपाली सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 593/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सुखापाली, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.688 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
265	0.032
260	0.020
262/7	
263	0.016
261	0.016
262/8	
109/2	0.057
295/15	
264/4	0.020
267/6	0.012
262/3	
157/5	0.020
264/1	0.202
264/6	
264/3	
131/6	0.040
113/1	0.222
295/14	
112/1	0.121
295/5	
109/1	0.053
108	0.214
109/3	0.057
259	0.012
262/6	
107	0.049
131/4	0.040
150/1	0.016
151/2	0.089
153	0.016
151/1	0.032
152/1	
151/3	0.040
152/2	0.040
154/7	0.008
154/1	0.024
154/2	0.069
154/3	0.024
154/4	0.008
154/5	0.036
154/6	0.032
155	0.065
157/1	0.089
156/2	0.024

(1)	(2)
168	0.040
156/1	0.016
158/2	0.105
158/3	
158/1	0.089
165	0.081
166	0.081
167	0.057
169/1	0.032
169/2	0.032
169/3	0.077
172	0.101
171/2	0.032
171/3	
173	0.081
174/2	
174/1	0.020
258	0.012
262/5	
262/2	0.045
270	
295/11	
295/12	
620/1	
124	0.012
योग	2.688

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुखापाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 594/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/2	0.121
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कौडिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 595/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.394 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
559	0.045

(1)	(2)
560/3	0.040
560/2	0.053
317/5	0.073
570/2	0.020
578	0.061
577/1	0.057
577/2	0.040
576	0.153
579	
574	
575	
573	0.061
572/1	0.020
572/2	0.049
584	0.065
585/1	0.032
585/2	0.020
583	0.040
586	0.053
587/2	0.028
321/1	0.040
587/1	0.032
319/5	0.157
320/3	
322/1	
323/1	
320/5	0.032
319/2	0.004
310	0.016
320/2	0.077
320/4	0.036
325	0.008
326/1	0.129
326/2, 3	
327	
319/3	0.065
320/1	
329	
330	
328/2	0.020
328/1	0.065
331/2	0.004
298/5	0.049
629/1	0.061
332	0.004
298/1	0.024
629/3	0.069
317/42	0.016
312	0.121
309/2	0.040
298/3	0.028
298/4	0.049
311/1	0.032
311/2	0.032
309/1	0.040
612/1	0.024
612/2	0.113
629/2	
631/2	0.097
योग	2.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चुरतेला ब्रांच माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 596/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बसन्तपुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.298 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46/5	0.012
48/1	0.085
20/1 ख	0.024
251/1	0.012
47/1	0.049
132/2	0.077
230	
231	
47/2	0.097
19	0.097
20/1 ज	0.012
20/1 ग	0.109
20/1 भ	0.012
20/1 ङ	0.061
20/1 द	0.028
20/1 स	0.081
20/1 म	0.032
21/4	0.004
22/1	0.109
22/3	0.045
24/3	0.016
24/1	0.065
23/2	0.004
24/2	0.049
232/1	0.012
25	0.117
233/5	0.036
233/6	
233/1	0.053
योग	1.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है--डभरा माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 597/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1683/2	0.032
1953, 1954	0.036
2225	0.032
1686	0.040
1696/2	0.194
1696/1	0.117
2224/3	0.036
2222/1	0.101
2222/3	0.065
2221/2	0.024
2221/3	0.057
2222/2	0.008
2219/1, 2	0.073
2064	0.049
1706	0.024
2195/1	0.036
1895	0.073
2218/2	0.085
2217	0.020
1900/2	0.024
2216	0.057
2215/1	0.040
2210/2	0.008
2214	0.045

(1)	(2)
2212/3	0.073
2211/1	0.030
2207/1	0.016
2207/2	0.121
2203/2	0.028
2199/2 क	0.057
2195/3	0.073
1097/1	0.036
1086/1	0.024
2195/2	0.040
1894/1, 2, 3	0.065
1902, 1903, 1905, 1906	0.073
1904/2	0.040
2039/1	0.032
1901 1900/1	0.032
1955 1952	0.081
1956/1	0.008
1949 1951	0.141
1946/1	0.057
1945	0.057
1944/2	0.049
2038/2	0.016
2047/2	0.057
2047/1 ख	0.057
2039/2	0.065
2040/1	0.032
2040/2 ग	0.032
2047/1 ग	0.049
2047/1 क	0.040
2046	0.040
2066, 2067	0.073
2068/1	0.016
1094/1 क	0.121
1093	0.020
1097/2	0.008
1086/2	0.024
1081/3	0.012
योग 61	3.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-फरसवानी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 598/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खैराखुर्द, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.140 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
गिरगिरा माइनर-I	
5	0.068
6 7	0.036
8/3	0.024
9/2	0.024
10	0.032
11	0.040
12/1	0.012
230/1	0.012
13/4	0.008
229	0.048
228	0.020
227	0.020
226	0.028
225	0.028
224/1	0.024
224/2	0.024
224/3	0.024
224/4	0.024
223	0.081
222/1	0.024
222/2	0.024
222/3	0.024

	(1)	(2)
	222/4	0.024
	220/1	0.052
	220/2	0.052
	219/1 क	0.020
	14/1	0.008
योग	27	0.805

गिरगिरा माइनर-II

	(1)	(2)
	411/2	0.214
	412/4	
	432	0.052
	433/1	0.016
	433/2	0.012
	439	0.016
	440	0.020
	438	0.020
	441	0.089
	443	
	452	0.081
	455	0.040
	456	0.064
	457/2	0.008
	373/1	0.077
	444	0.020
	372	0.085
	371/2	0.117
	362	0.056
	367/1	
	367/2	
	364	
	365	
	366	
	361	0.012
	624/3	0.052
	615	
	626/2	0.012
	627	0.008
योग	21	1.071

गिरगिरा माइनर-III

	(1)	(2)
	362	0.040
	367/1-2	
	364	
	365	
	366	
	363	0.036
	373/1	0.044
	374/2	0.044
	274/3	0.052
	276/1	0.024
	276/2	0.024
योग	7	0.264
कुल योग	55	2.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गिरगिरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 599/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.011 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2373	0.040
2372/3	0.012
2372/4	0.061
2404/3, 2406	0.077
2407/2	0.004
2408/2	0.061
2409/2	0.045
2409/3	0.004
2409/1 ख	0.028
2417/3, 4	0.053
2423/3	0.040
2423/5	0.004
2422/1	0.049
2422/2	0.040
2429/1	0.016
2429/2, 3	0.105
2477/3	0.069
2435	0.049
2436/2	0.040
2436/1	0.049
2456/3, 9, 2456/1, 2	0.105
2457/1	0.016
2456/7	0.016
2468/5, 6, 7	0.028
योग 24	1.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भेड़ीकोना माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 600/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सुखदा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.406 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.263
2/6	0.036
3/3	0.020
3/4	0.097
2/4	0.020
2/5	0.040
9/1	0.097
9/4	0.073
10/2	0.040
11/3	0.134
11/2	0.020
19/4	0.101
19/1	0.028
9/3	0.012
12, 13, 15/3	0.332
14/1	0.093
योग	1.406

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बड़े मुढ़पार सब डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 601/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1409/1	0.093
1409/3	0.081
1409/2	0.101
1413	0.012
1412	0.020
1411	0.153
1410	0.040
1419/2	0.097
1419/1	0.053
योग 9	0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बड़े मुढ़पार सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 602/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यँह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
438	0.032
439	0.057
440	0.008
56	0.065
436/8	0.008
442/1	0.040
442/2 क	0.065
442/2 ग	0.057
454	0.036
453	0.040
403/3	0.004
450/1	0.024
445/2	0.016
445/1	0.045
445/3	0.045
446/2	0.057
403/5	0.053
371/1	0.008
371/2 क	0.093
444/1	0.024
370/1	0.028
370/3	0.024
47/1	0.045
48/1	
47/2	
48/2	
49/1	0.004
41/6	0.073
41/1	0.109
41/4 क	0.012
52/2	0.020
455	0.004

(1)	(2)
53/1	0.057
55	0.065
441/4	0.065
योग	1.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खैरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 603/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कुसमुल, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.965 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
131	0.194
134	0.045
132/3	0.008
133/3	0.149
133/1	0.064
144	0.113
143/2	0.073
133/4	0.028

(1)	(2)
145/1, 2, 4	0.137
362/1	0.036
281/2 क	0.020
145/3	0.020
146/1	0.028
146/4	0.053
147/3	0.040
147/2	0.020
148/3	0.105
117/1	0.016
156/10	0.081
360/6	0.036
156/5	0.032
363/2	0.036
156/6	0.012
360/1	0.036
158/1	0.012
157	0.109
221/8 ग	0.049
161	0.052
222/6	0.061
370	0.012
162/1	0.020
222/2	0.182
362/4	0.024
221/17	0.024
221/8 ख	0.098
221/8 क	0.049
221/9	0.032
375/1	0.020
190/1 ग	0.020
221/10	0.065
221/2	0.053
221/7	0.182
221/4	0.109
221/5	0.049
221/11	0.020
220/1	0.073

(1)	(2)
220/2	0.028
219/1	0.008
279	0.024
369/1 ग	0.094
369/1 घ	0.141
369/3	0.086
369/4	0.194
368/2	0.077
368/1	0.073
366/5	0.049
422	0.016
368/3	0.081
367/5	0.020
366/1	0.032
420	0.008
421/1	0.028
366/3	0.008
362/3	0.028
362/2	0.020
359/3	0.049
359/2	0.053
359/1	0.105
419	0.004
423/1	0.008
363/4	0.012
363/1	0.028
363/3	0.036
360/2	0.040
395/1	0.008
396/1, 3	0.057
394/1	0.057
417	0.008
416/1	0.045
421/2	0.032
416/2	0.008
413	0.117
465/1 466/1	0.271
369/1 क	0.024
280	0.291
योग 85	4.965

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बढ़े मुड़पार सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 604/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.438 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1261/1	0.040
1261/3	0.109
1261/2	0.004
1244/3	0.004
1204	0.057
1210/3, 4	0.020
1210/2	0.020
1259/1	0.081
1258/1	0.008
1243	0.073
1258/2	0.020
1258/3	0.057
1257/2	0.065
1240/2	0.097
1240/1	0.020
1240/6	0.032
1240/5	0.028
1239/3	0.036
1205	0.073
1197/3	0.061
1210/1	0.045
1212/1	0.045
1212/3	0.016

(1)	(2)
1196/3	0.008
1217/1	0.012
1213	0.020
1214	0.028
1215 1216	0.057
1217/2	0.045
1186/6	0.016
1186/4	0.036
1182/7	0.040
1182/6	0.045
1182/4	0.040
1181/1	0.028
1180	0.040
1179	0.012
योग	1.438

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सपिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 605/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खोथर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.866 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1091	0.045
1093/2	0.186
1120/2	0.032
1081/4	0.016
1121	0.049
1155	0.028
1142	0.081
1122	0.016
1154/1	0.045
1153/2	0.028
1136	0.024
1154/3	0.057
1153/1	0.004
1137/1	0.117
1141	0.065
1137/2	0.073
योग 16	0.866

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिरियागढ़ माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 606/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुड़ी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.697 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
399/2	0.061
391/1	0.149
389/2	0.057
76/1	0.036
390	0.028
388	0.057
387/2	0.012
385/3	0.049
387/1	0.032
385/2	0.045
66/3	0.045
67/2	0.061
71/4	0.040
71/3	0.036
71/2	0.061
76/3	0.036
63, 64, 70	0.182
61/2	0.036
79/2	0.028
79/5	0.004
80/1	0.061
80/3	0.036
81/3	0.008
81/1	0.004
81/3	0.004
80/2	0.036
89/2, 3	0.004
80/4	0.061
105	0.364
69	0.036
71/8	0.028
योग 31	1.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रतापाली सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 607/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खोधर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1079/5	0.105
1082/1	0.101
1083/1	0.085
1083/2	0.081
1091	0.129
1090	0.093
1096/7	0.045
1096/1	0.028
1096/9	0.053
1096/8	0.020
1116	0.069
1114/1	0.085
1108/1	0.028
1108/2	0.028
1108/3	0.028
1108/4	0.032
1108/5	0.032
1109/1	0.049
1103	0.045
योग	1.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रतापाली सब डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 608/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभाठा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.905 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
रेड़ा माइनर-I	
135/2	0.097
135/1	0.154
134/1	0.101
122/1	0.048
122/2	0.048
123	0.101
119	0.036
118	0.040
117	0.044
116/3	0.036
116/2	0.036
116/1	0.028
114/3	0.040
114/6	0.020
114/4	0.032
114/8	0.016
114/10	0.016
64/3	0.016
64/4	0.012
65	0.076
52	0.064
51/2	0.048
50/2	0.052
333	0.085
338	0.052
339	0.012
340/2	0.008
337	0.008
370/3	0.052
341	0.016
136	0.008
योग 31	1.402
रेडा माइनर-II	
134/1	0.020
134/2	0.024
141	0.024
143	0.020
144/1	0.028
144/2	0.020
145/2	0.024
145/1	0.028
150	0.127
151/2	0.012
151/3	0.048
151/4	0.048
152/2	0.024
142	0.032
153/1	0.024
योग 15	0.503
कुल योग 46	1.905

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेड़ा माइनर 1 आर, 2 आर, एच. आर. सी. एच.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 609/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.447 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
82/4, 2	0.028
82/2	0.016
39 40/1 41/1	0.061
42	0.053
43/1	0.073
43/2	0.024
68/1	0.045
44/7	0.145
44/6	0.053
68/2 69 70	0.004
68/8	0.032
66	0.069
68/6	0.036
64/1	0.049
234/6	0.049
64/2	0.032
157/3	0.032
225/3	0.020
157/1	0.049
168	0.032
236/1 ग	0.032
159/3	0.045
167	0.028
166	0.032
238	0.016
239	0.008
225/2	0.065
224/1	0.040
236/1 ख	0.040
232	0.004
233/3	0.008
235/1	0.053
235	0.045
234/1	0.053
156/1	0.008
236/1 ज	0.032
237	0.020
240	0.016
योग 38	1.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवापारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 611/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.278 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/5	0.012
39/3	0.065
39/4	
44/4	0.040
415/3	0.121
448	0.040
योग	0.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ठनगन माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 612/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.265 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
961/2	0.028
962/1	0.081
1344	0.024
960/2	0.012
969/5	0.040
969/6	0.028
971/4	0.036
972/5	0.053
989	0.077
1368	0.376
2369	
2757	
2758/1	
2759/1	
2760	
2759/2	0.049
990	0.049
988/1	0.024
988/2	0.057
1264/4	0.020
1264/2	0.045
1264/1	0.089
1262/2	0.057
1245/3	0.012
1262/3	0.057
1246/2	0.141
1257	0.057
1248	0.004
1249	0.004
1250	0.016
1251/1	0.049
1251/2	0.057
1252/1	0.008
1252/2	0.057
1252/3	0.053
1346/1	0.032
1346/2	0.045
1345/1	0.016
970	0.020
1343/2	0.036
1341/1	0.117
1342	

(1)	(2)
1354	0.016
1356/1	0.004
1356/2, 1355	0.040
1360	0.109
1359/1, 2	0.061
1359/3	0.109
योग 42	2.265

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डभरा माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 613/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.066 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
784/2, 3	0.065
784/1	0.121
783, 787	0.045
775	0.105
29, 30/2	0.125
30/1	0.024
774/1	0.012
32/3	0.028
36/1 ख	0.065
31/2, 14/3, 14/2	0.145
13, 34/5	0.053
36/ 1 ग	0.065
36/ 1 ञ	0.053
36/4	0.053
50/1	0.024
1709/4	0.069
36/1 क	0.057
40/1	0.045
40/3	0.053
39	0.069
36/1 च	0.129
37/5	0.024
37/1	0.024
519/1	0.032
49/5, 6, 7	0.004
48	0.089
49/4	0.081
49/1, 2, 3	0.121
535	0.032
534	0.012
1652	0.061
533/2 क	0.073
529, 530/1	0.065
533/3 क	0.040
521/1	0.069
533/4	0.061
531/2	0.032
1605	0.032
531/1	0.040
528	0.053
526/1	0.024
526/2	0.045

(1)	(2)
523/1	0.020
521/3	0.036
520	0.040
1591	0.004
518/3	0.040
518/2	0.061
1600/1	0.101
1615	0.012
1604	0.053
518/1	0.061
1610/2	0.045
1611	0.040
1613	0.016
1709/3	0.065
1709/9	0.053
योग 57	3.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ब्रान्च माइनर नं. 1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 614/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.412 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
963/1	0.012
1045/1	0.109
1045/4	0.061
985	0.065
984	0.040
971	0.012
983/1	0.012
983/3	0.101
980/2	0.076
821/1	0.206
972	0.012
973/1	0.053
837	0.028
838	
825/7	0.024
974	0.089
975/1	0.036
975/3	0.045
825/4	0.024
831	0.008
825/5	0.020
825/3	0.028
819	0.049
820	0.076
812/1	0.089
813/3	0.137
योग 25	1.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरतुंगा ब्रान्च माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-खुरघटी, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/3 ख 14/3 क	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खुरघटी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 616/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.470 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1305	0.040
1289/3	0.137
1289/1	0.089
1289/2	0.113
1290/1, 2	0.122
1290/3	0.049
1284/2 1278/3 1278/4	0.263
1279	0.085
1280/3	0.057
1280/1	0.053
1269/1	0.077
1268	0.061
1264/7, 11	0.125
988/1	0.085
1264/4	0.061
1264/5	0.053
योग 16	1.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ब्रांच माइनर डभरा माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 617/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.924 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
505/3	0.036
510/3	0.020
510/2	0.036
511	0.036
512	0.081
513	0.053
515	0.040
516/2	0.028
516/3	0.032
530/1	0.077
529 530/2	0.061
528	0.045
526/2	0.008
575/1 575/3	0.020
575/2	0.020
576	0.069
577	0.073
524	0.040
578	0.020
580/1	0.040
580/3	0.032
579	0.061
1216/1	0.202
1216/4	0.113
1217/7	0.049
1216/12	0.036
1216/13	0.053
1216/7	0.097
1216/9	0.049
1217/6	0.061
1217/8	0.028
1216/6	0.057
1216/8	0.004
1224	0.008
1223	0.049
525	0.008
1222	0.008
1227	0.049
1226/1 ख 1226/2	0.081
1233/2	0.012
1233/4	0.008
1233/1	0.020
1217/1	0.004
योग	1.924

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छुहीपाली सब डि. ब्यू.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 618/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-तुलसीडीह, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.850 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
200/4	0.065
200/6	0.061
202/2	0.057
200/7 200/8	0.016
214/3	0.036
214/5	0.024
214/6	0.053

(1)	(2)
210/1 218	0.149
219/2	0.044
219/4	0.061
219/1	0.004
220	0.036
221/14	0.049
221/15	0.008
221/13	0.057
217	0.130
योग	0.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुसमुल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 619/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खोंधर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.499 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
371	0.008
372/4	0.016
332/4	0.020
362/2	0.045
362/1	0.049
359	0.016
358	0.040
357/1	0.008
353 354/5	0.069
332/6	0.020
330	0.061
174	0.004
329/1	0.053
323 328	0.065
322	0.008
173	0.008
130	0.036
134/3	0.109
127	0.020
128	0.016
129/1	0.040
135	0.020
137	0.032
136/5	0.053
136/3	0.049
138	0.020
154/2	0.004
150/2	0.008
154/3	0.028
168	0.012
158	0.081
159	0.081
171 172	0.093
166/1	0.028
166/2	0.008
169	0.008
170/1	0.061
162/2	0.020
167/4	0.028
166/5	0.045

(1)	(2)
165	0.093
166/8	0.016
योग 42	1.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टेल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 620/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.671 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
900/6	0.008
80/3	0.061
181/2	0.061
900/4	0.012
1275, 1283	0.120
157	0.024
900/3	0.004
900/1	0.008
900/5	0.012
51	0.105
1047/3	0.008
889/1	0.008
730/1	0.016
1204/4	0.125
1409/1	0.012
1408	0.049
180	0.101
175	0.040
1407/3	0.012
1407/1	0.049
1407/4	0.012
1406/2	0.012
1200/1	0.016
1293/2	0.012
895/5	0.016
957/2	0.004
54/2	0.036
153/1	0.081
1293/3	0.020
1292/3	0.032
1293/1	0.109
1291/2	0.049
1284/4	0.026
1285/2	0.053
1285/3	0.020
1284	0.069
1001	0.032
1273	0.186
963/2	0.089
880/3	0.057
879	0.065
877/1	0.081
875, 877/2	0.060
872/2	0.081
872/1	0.020
888/3	0.020
888/1	0.008
947/2	0.008
895/4	0.004

(1)	(2)
895/1	0.024
895/6	0.016
899/2	0.020
899/3	0.008
899/5	0.008
899/1	0.024
956	0.008
946	0.012
955	0.012
947/1	0.008
927/2	0.012
1057	0.004
961/1	0.008
1085	0.012
931	0.012
943/2	0.008
951	0.012
960/2	0.012
148/2	0.008
961/2	0.016
720/1	0.040
56/1	0.053
1045/3	0.081
1046/4	0.020
1039	0.146
1043	0.121
1040/1	0.008
989/3	0.012
993	0.020
991, 1037	0.032
992	0.036
1016/2	0.040
785/1	0.040
1016/3	0.020
996/2	0.008
1000, 1007	0.093
1038	0.081
720/2	0.040
71	0.020
72	0.081
79/3	0.044
721	0.065
723/2	0.036
723/1	0.020
724/5	0.020
730/2	0.012
731/2	0.012
731/1	0.016
179/1	0.040
181/1	0.028
183	0.061
181/4	0.045
55	0.044
184	0.040
139/2, 173/2	0.057
139/1	0.008
140/3	0.073
172/2	0.061
141/1	0.032
172/5	0.057
150/2	0.057
162	0.057
44/3	0.008
160	0.093
161	0.012
158	0.057
153/2	0.024
95/2, 154/2	0.053
97/1	0.069
80/2	0.081
43	0.040
योग 120	4.671

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरतुंगा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 621/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरियागढ़, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.468 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3/1	0.097
667/1	0.202
3/2, 3/6	0.202
38/3	0.093
38/1	0.069
38/2	0.137
39/2	0.113
372, 373/2	0.255
39/3	0.109
39/1	0.117
275/1	0.101
291/1 क	0.186
291/1 ख	0.020
280	0.089
290	0.020
326/2	0.053
289/1	0.036
346/1	0.081
361	0.053
289/2	0.077
289/3	0.065
299/1	0.162
312/4	0.053
312/2	0.036
312/3	0.093
326/1, 327	0.073
375/4, 374/2	0.093
374/1	0.121
374/3	0.016
381	0.109
378/1	0.004
379/2, 4	0.020
379/3, 5	0.016
380/2	0.065
380/1	0.040
380/3	0.045
663/3, 4	0.024
663/1	0.093
664/1	0.049
666/1	0.069
666/2	0.032
666/3	0.032
666/4	0.032
666/5	0.016
योग 44	3.468

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिरियागढ़ माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 622/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हों गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुंडी, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.625 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
391/1	0.089
384/1 क	0.141
393/2	0.024
391/3	0.129
394/2 398/2	0.020
384/1 ख	0.040
383/2	0.032
394/1 398/1 395	0.028
393/1	0.073
381 382	0.049
योग 10	0.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुखापाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 623/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुंडी, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.409 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/4	0.101
315/1	0.004
313	0.093
310/2	0.049
310/1	0.101
309/3	0.061
योग	0.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 624/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खोंधरा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.393 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
803/1	0.053
803/2	0.053
804/2	0.020
800	0.012
810	0.162
811	0.008
812/3	
809	0.012
817/2	0.049
817/1	0.049
793	0.089
792/1	0.036
783/1	0.008
786/1	0.008
787/1	
771	0.012
773	0.020
768	0.032
769	0.045
770	0.028
746/1	
774	0.016
671	0.008
746/11	0.040
746/12	0.040
743	0.036
744	0.049
735	0.020
733/1, 2	0.053
720	0.024
673/1	0.045
673/6	0.040
674/6	0.008
674/7	
674/8	0.024
674/9	0.024
672/2	0.210
675/2	
602/15	0.020
734/2	0.040
योग 35	1.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खोंधरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 625/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुसुमझर, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.117 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	58	0.154
	56	0.044
	6/1	0.077
	4	0.073
	3	0.044
	6/2 ख	0.053
	5	0.101
	8/2 ख	0.069
	8/2 क	0.113
	811	0.227
	813	0.162
योग	11	1.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रतापाली सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 626/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरियागढ़, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.441 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	362/1	0.049
	361	0.109
	364	0.085
	354	0.198
योग	4	0.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झनकपुर ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 627/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरियागढ़, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.105
3/7	0.061

(1)	(2)
3/5	0.061
3/3	0.065
योग 4	0.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुखापाली ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 628/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुसुमझर, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.029 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
58	0.154
61/1	0.053
60/1	0.008
62	0.130
545	0.044
69	0.028
188	0.012
166/1	0.036
70/1	0.008
71	0.061
70/2	0.065
72/2	0.049
182/1	0.012
172/1	0.004
172/2	0.024
179/1	0.040
180/3	0.016
72/1 ख	0.008
179/2	0.109
179/3 179/4	0.109
176	0.024
175/1	0.036
174/1	0.040
174/2	0.036
173/3	0.065
172/3	0.024
149	0.004
168	0.073
167/1	0.028
450/2	0.065.
166/3	0.028
165	0.028
159/3	0.065
160	0.053
161	0.065
386 458 467	0.097
387 388 457	0.085
448	0.004
455	0.008
385 459 466	0.008

(1)	(2)
389/1	0.028
470	0.012
453	0.057
449	0.065
544	0.004
546	0.057
योग 46	2.029

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुसुमझर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 629/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-झनकपुर, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.198 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
306	0.004
295/2	0.016
270/2	0.020
307	0.057
284/1	0.032
308	0.004
271/2	0.004
305	0.020
304/1	0.020
303/2	0.028
302/2	0.057
303/1	0.093
282/2	0.093
274/1	0.149
301	0.053
300/2	0.020
395/2	0.032
395/1	0.024
362/2	0.012
296	0.097
295/3	0.012
270/3	0.008
292	0.081
291	0.020
290/2	0.020
290/1	0.036
289	0.045
218/1	0.008
286	0.008
282	0.036
274/2	0.008
272/1	0.016
269	0.065
योग	1.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झनकपुर ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.